प्रधान सचिव/विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 26–27 अगस्त, 2019 को सभी नगर निकायों के नगर आयुक्तों/कार्यपालक पदाधिकारियों/प्रतिनिधियों के साथ आयोजित विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक की कार्यवाही–

उपस्थिति– पंजी के अनुसार।

दिनांक 26–27 अगस्त, 2019 को राज्य के सभी नगर निकायों के नगर आयुक्तों/कार्यपालक पदाधिकारियों/प्रतिनिधियों के साथ विभागीय योजनाओं यथा केन्द्र प्रायोजित योजना, राज्य योजना आदि की समीक्षा बैठक विभागीय सभाकक्ष में की गयी। बैठक के क्रम में निम्नवत निर्देश दिये गये :–

SBM योजना -

- व्यक्तिगत शौचालय एवं सामुदायिक शौचालय की समीक्षा के क्रम में पाया गया है कि करीब 117 निकायों द्वारा अपेक्षित लक्ष्य के विरूद्ध कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं। शेष निकायों को निदेश दिया गया है कि बचे हुये व्यक्तिगत शौचालय के लिए द्वितीय किस्त की राशि लाभार्थी को 15 सितंबर, 2019 तक हस्तांतरित कर निर्माण कार्य पूर्ण करा लें।
- निकाय अंतर्गत सभी निर्मित सामुदायिक शौचालयों का विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रपत्र में लाभार्थियों का टैगिंग कर विभाग को 15 सितंबर, 2019 तक अवश्य उपलब्ध करा दें। शेष अधूरे सामुदायिक शौचालयों को भी युद्धस्तर पर कार्य कराकर पूर्ण करा लें।
- भारत सरकार के निदेशानुसार, सभी नगर निकाय, जिन्होंने IHHL एवं CT/PT में शत–प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया है, उनकी सूची भारत सरकार को भेजा जा रहा है। भारत सरकार द्वारा प्राधिकृत एजेंसी QCI के द्वारा ODF का वेरीफिकेशन के लिए सितंबर के प्रथम सप्ताह में QCI के प्रतिनिधि आपके निकाय में जायेंगें। आपके द्वारा उपलब्ध ODF City Profile के अनुसार निकाय का Verification करेंगें, जिन्हें अपेक्षित सहयोग आपके द्वारा दिया जाना है।
- ODF Verification के लिये संबंधित IHHL एवं CT/PT का डाटा लक्ष्य के विरुद्ध पूर्ण होने संबंधी आवश्यक कागजात संचिका में संधारित रखें ताकि उनके पूछे जाने पर सत्यापित करा सकें। साथ ही वार्ड स्तर पर सभी सामुदायिक शौचालय की साफ–सफाई बिजली एवं हाथ धोने की व्यवस्था आदि का समुचित प्रबंध करेंगें।
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तहत करीब 48 निकायों से कम्पोस्टिंग पीट निर्माण की सूचना प्राप्त हुई है, शेष निकायों द्वारा टेंडर की प्रक्रिया, स्थल का चयन आदि के कारण लंबित होने की बात बताई जा रही है। नोडल पदाधिकारी, SBM के द्वारा बैठक में उपस्थित सभी नगर आयुक्त एवं कार्यपालक पदाधिकारी को बताया गया कि माननीय NGT के न्यायालय द्वारा 30 सितंबर, 2019 को सुनवाई निर्धारित है, जिसमें मुख्य सचिव, बिहार को भाग लेना है। इस अवधि से पहले सभी निकायों द्वारा कचड़े का पृथक्करण शत–प्रतिशत वार्डों में एवं उनका डोर–टू–डोर के माध्यम से संग्रहण एवं प्रसंस्करण कराना सुनिश्चित करेंगें।
- सभी निकायों को सुखे कचड़े के लिये Material Recovery Facility (MRF) Center का निर्माण अनिवार्य रूप से करना होगा। जिसमें प्लास्टिक के सामग्री की छंटाई एवं उसका आँकलन कर Register में प्रतिदिन अंकित करना होगा, जिसमें स्वयं सहायता समूह के महिलाओं से सहायता लेकर इसका प्रबंधन सुनिश्चित करेंगें।

- स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में सभी निकायों द्वारा भाग लिया जाना है। इसके लिये भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के Web Portal पर स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 का MIS Update प्रत्येक माह के पांचवीं तिथि तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के उपरांत आपके निकाय का रैंकिंग तय की जायेगी। इसके लिये आवश्यक toolkits सितबंर के प्रथम सप्ताह में भेजी जायेगी।
- स्वच्छ भारत मिशन के तहत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती 2 अक्टूबर 2019 को शौचमुक्त राज्य, राष्ट्र को समर्पित किया जाना है। साथ ही प्लास्टिक मुक्त राज्य बनाने की दिशा में इसकी नींव भी रखनी है। इसके लिये 11 सितंबर, 2019 से 27 सितंबर, 2019 तक विभिन्न प्रकार के स्वच्छता जागरुकता से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है, जिसका विस्तृत कार्यक्रम रूपरेखा अलग से भेजी जायेगी। निदेश दिया जाता है कि इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आयोजन सुनिश्चित करें।
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तहत 22 गंगा शहरों को राशि उपलब्ध करा दी गयी है। सभी गंगा शहर के नगर आयुक्त एवं कार्यपालक पदाधिकारी, संशोधित DPR के अनुसार कार्य संपन्न करायेंगें एवं 15 सितंबर, 2019 तक राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगें।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)–

- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत विभाग द्वारा Demand सर्वे कराकर Housing For All Plan of Action (HFAPoA) एवं Annual Implementation Plan (AIP) तैयार किया जा रहा है। इस कार्य हेतु सभी नगर निकायों में परामर्शी संस्था की सेवा विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी है। योजना के 3 वर्ष से अधिक बीत जाने के बाद भी 27 HFAPoA एवं AIP बोर्ड से पास कराकर विभाग को उपलब्ध नहीं कराया गया है। निदेश दिया गया कि परामर्शी संस्था से समन्वय स्थापित करके HFAPoA एवं AIP सितम्बर माह के अंत तक विभाग को अवश्य उपलब्ध कराया जाए।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के BLC घटक में अब तक नगर निकायों में 253703 आवासीय इकाई स्वीकृत किये गये हैं, जिसके विरूद्व अबतक केवल 106561 लाभुकों को ही कार्यादेश निर्गत किया गया है एवं केवल 74346 लाभुको को ही प्रथम किस्त का भुगतान किया गया है, जो कि अत्यंत ही चिंताजनक है। इस सम्बन्ध में कार्य में गति लाने हेतु पूर्व में भी कई बार पत्र दिया जा चुका है। साथ ही परियोजनावार स्वीकृत लाभुको का भारत सरकार के पोर्टल पर MIS Entry, DPR से संबद्व करके कार्यादेश निर्गत करने एवं Geo-Tagg कराकर राशि का भुगतान किये जाने का निदेश दिया जा चुका है। इस संदर्भ में पुनः निदेश दिया गया कि सभी नगर निकायों द्वारा अभियान चलाकर सितम्बर माह के अन्त तक निकायवार एवं परियोजनावार स्वीकृत परियोजनाओं में शत–प्रतिशत लाभुकों का Mis Entry एवं DPR से संबद्व करके कार्यादेश निर्गत किया जाए एवं Geo-Tagg कराकर राशि का भुगतान किया जाए।
- राज्य के सभी नगर निकायों में स्वीकृत परियोजनाओं में भूमि से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने में अंचल कार्यालय द्वारा रूचि नहीं लिए जाने की वजह से योजना में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पा रही है। इस संबंध में निदेश दिया गया की जिला पदाधिकारी को पत्र देकर सभी नगर निकायों में राजस्वकर्मी एवं अंचलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर कैंप का आयोजन कराकर लाभुकों को जमीन से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराया जाए।
- यदि किसी कारण से परियोजना में स्वीकृत लाभुकों का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जाना संभव न हो तो उसे प्रत्यर्पित किया जाए। इस संदर्भ में पूर्व में भी कई बार पत्र के माध्यम से सूचित किया गया है।

- इस संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा भी प्रगति की बैठक में समीक्षा की जाती है। इस संबंध में निदेश दिया गया की सभी नगर निकायों में इस माह के अन्त तक मेगा शिविर का आयोजन किया जाए एवं शत प्रतिशत लाभुकों को कार्यादेश निर्गत किया जाए एवं राशि की उपलब्धता के आधार पर लाभार्थियों को Geo-Tagg कराकर राशि का भुगतान किया जाए। इस संबंध में सभी नगर निकायों को पत्र के माध्यम से सूचित करने का निदेश दिया गया।
- परामर्शी संस्था द्वारा किये गये Demand Survey में BLC घटक के अंतर्गत प्राप्त आवेदन एवं निकाय द्वारा स्वीकृत कराए गये आवासों के बीच काफी अंतर पाया गया है। इस सम्बन्ध में निदेश दिया गया कि नगर निगमों द्वारा मांग के अनुरूप BLC घटक के शत–प्रतिशत लाभुकों का प्रस्ताव सितम्बर माह तक विभाग को भेज दिया जाए।
- प्रधानमंत्री आवास योजना के दो घटक Affordable Housing in Partnership (AHP) एवं In Situ Slum Redevelopment (ISSR) के क्रियान्वयन हेतु "किफायती आवास मलीन बस्ती (स्लम) पुर्नवास एवं पुनर्विकास नीति 2017" अधिसूचित है। योजना के 04 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी कोई भी परियोजना स्वीकृत नहीं करायी गयी है। इस संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा भी प्रगति में समीक्षा की जाती है। इस नीति अर्न्तगत जिला स्तर पर District Level Planning & Monitoring Committee (DLPMC) गठित है, परन्तु अब तक DLPMC के एक भी बैठक नहीं कराई गयी है। इस संदर्भ में मुख्य सचिव द्वारा सभी जिला पदाधिकारी को निदेश दिया गया है, जिसके तहत चयनित लाभुकों को आवासित करने हेतु नगर निकायों द्वारा भूअर्जन हेतु जमीन चिन्हित करके भागीदारी में किफायती आवास एवं मलीन बस्ती अधिनियम 2017 के तहत जिला स्तर पर गठित District Level Planning & Monitoring Committee (DLPMC) से प्रस्ताव पास कराकर विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है। वर्णित दोनो घटकों के प्रावधान के अनुसार शहरी क्षेत्रों के मलीन बस्तीयों एवं सरकारी भूमि पर आवासित पात्र परिवारों को, यदि उसी भूमि पर बहुमंजिली आवास बनाकर आवासित करना संभव (Tenable) हो, तो उसी स्थान पर तथा यदि उसी स्थान पर बहुमंजिली भवन बनाना संभव नही (Untenable) हो, तो उसके लिए शहरी क्षेत्रों या उसके आस–पास के क्षेत्रों में भूमि चिहिन्त करके, वहाँ बहुमंजिली भवन बनाकर वैसे लाभुकों को आवासित किया जाना है। पुनः सभी नगर निकायों को निर्देश दिया गया कि जमीन अधिग्रहण करने हेतु DLMPC से पास कराकर विहित प्रपत्र में विभाग को प्रस्ताव भेजा जाए।

NULM योजना :–

सभी नगर निकायों को सूचित किया गया कि DAY-NULM योजना अंतर्गत हो रही प्रगति की प्रविष्टि NULM के MIS पोर्टल पर ससमय नहीं की जा रही है। साथ ही ऐसे सभी निकाय, जिनके द्वारा विभाग को SUSV घटक अंतर्गत वेंडिंग जोन के निर्माण हेतु प्राक्कलन भेजा गया है तथा SUH घटक अंतर्गत विभाग द्वारा स्वीकृत आश्रय स्थलों (नए एवं पुराने/जीर्णोद्धारित) के DPR की प्रविष्टि भी नगर निकाय स्तर से की जाये। इसका अनुश्रवण नगर आयुक्त एवं कार्यपालक पदाधिकारी प्रत्येक माह करना सुनिश्चित करेंगे।

घटक – Social Mobilisation & Institutional Development (SM&ID)

- सभी ऐसे नगर निकाय, जिनके द्वारा CO एवं CRP का चयन नही किया गया है वह यथाशीघ्र इस हेतु विज्ञापन प्रकाशित करें।
- शहरी सहभागिता मंच की बैठक नियमित रूप से कराई जाये एवं इसकी कार्यवाही को निकाय के वेबसाइट पर अपलोड किया जाय तथा विभाग को भी भेजा जाय।

- "स्वस्थ SHG परिवार" कार्यक्रम के तहत SHG के सदस्यों एवं उनके परिवार के सदस्यों को आयुष्मान भारत योजना, पोषण अभियान तथा स्वास्थ्य कैंप से अच्छादित किया जाना है, इससे संबधित सभी जानकारी राज्य स्तर पर आयोजित बैठक में कार्यरत सभी नगर मिशन प्रबंधको को दी जा चुकी है। इस कार्यक्रम का अनुश्रवण अपने स्तर से किये जाने हेतु निदेशित किया गया।

घटक – **Support to Urban Street Vendors (SUSV)**

- सभी नगर निकायों को फुटपाथ विक्रेताओं के सर्वेक्षण हेतु राज्य स्तर पर बनाये गए android based mobile application प्रदर्शित किया गया एवं सूचित किया गया कि सभी विक्रेताओ का GIS based सर्वेक्षण किया जाना है एवं इससे सम्बंधित मार्गदर्शिका उपलब्ध कराई जाएगी।
- सभी नगर निकायों को शहर का City Street Vending Plan बनवाकर, TVC से पारित कर विभाग को उपलब्ध कराया जाये।

घटक – **Shelter for Urban Homeless (SUH)**

- नगर निकाय छपरा, दरभंगा, कटिहार, जहानाबाद, सुल्तानगंज, मधुबनी, नवगछिया एवं अमरपुर में निर्माण कार्य पूर्ण हो गये आश्रय स्थलों का उद्घाटन माननीय विभागीय मंत्री से माह सितम्बर, 2019 में करा लिया जाये।
- सभी नगर निकायों को सूचित किया गया कि आश्रयविहिनों का सर्वेक्षण पुनः सभी निकायों में android based mobile application के द्वारा किया जाना है। तदनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें।

घटक – **Employment through Skill Training & Placement (EST&P)**

- सभी नगर निकायों को यह भी सूचित किया गया की बिना SDC के संबंधित बैचों के प्रथम किश्त के भुगतान हुए NULM पोर्टल से Skill India पोर्टल पर लाभुको के assessment हेतु नहीं भेजा जा सकता है।
- सभी नगर निकायों को SDCs को प्रत्येक माह ससमय लक्ष्य आवंटित करने एवं विभागीय नियमानुसार भुगतान करने हेतु निदेशित किया गया।
- सभी नगर निकाय, जिन्हें विभाग द्वारा नए SDC उपलब्ध कराये गए है उनकी जाँच CMM के माध्यम से कराकर यथाशीघ्र एकरारनामा करते हुए प्रशिक्षण का कार्य शुरू कराया जाये।

घटक – **FI&SEP**

- सभी नगर निकायों को सूचित किया गया की विभागीय पत्रांक संख्या – 2117, दिनांक–05.08.2019 का अनुपालन अबतक कटिहार एवं सुपौल से अतिरिक्त किसी भी निकाय से प्राप्त नहीं हुई है जिसके कारण SLBC को निकाय स्तर पर लंबित आवेदनों की अद्यतन स्थिति नहीं भेजी जा सकी है एवं सभी को निदेशित किया गया की भेजे गए प्रपत्र में इसकी सूचना विभाग को अविलम्ब उपलब्ध कराई जाये।

नाली–गली निश्चय योजना :–

- जिन निकायों द्वारा अभी तक नाली–गली पक्कीकरण निश्चय योजना के प्रपत्र A, C एवं E में प्रतिवेदन अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है, वे एक सप्ताह के अन्दर एम0आई0एस0 सेल को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा देंगे। साथ ही पुनः स्मारित कराया गया कि केवल कच्ची नाली–गलियों को ही प्रस्तावित योजनाओं में सम्मिलित कराया जाय।

- बारसोई नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि उनके नगर निकाय में अब सभी वार्डों में नाली–गली योजनाओं की निविदा सम्पन्न करायी जा चुकी है।
- पटना नगर निगम के प्रतिनिधि की अनुपस्थिति की वजह से 07 वार्डों में निविदा का कार्य नहीं होने के कारण की जानकारी नहीं हो पायी।
- सभी उपस्थित नगर निकायों के पदाधिकारियों से निविदा कार्य को पूरा करने के साथ–साथ संतृप्त वार्डों की संख्या बढाने हेतु प्रयासरत रहने का निदेश दिया गया। साथ ही योजनाओं की संख्या, आच्छादित घरों की संख्या एवं आच्छादित वार्डों की संख्या की तार्किकता बनाये रखने हेतु विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

नल–जल निश्चय योजना :–

- बैठक में बताया गया कि 105 नगर निकायों के कुल 1741 वार्डों में नगर निकाय द्वारा मुख्यमंत्री निश्चय योजना के अन्तर्गत हर घर नल जल निश्चय योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। यह योजना मार्च 2020 तक पूर्ण किया जाना है। कुछ नगर निकायों यथा फारबिसगंज में 17 वार्ड, अररिया में 7 वार्ड, कसबा में 7 वार्ड, बारसोई में 7 वार्ड, सुरसंड में 6 वार्ड, बीहट नगर परिषद में 6 वार्ड, हिसुआ में 4 वार्ड, बखरी में 4 वार्ड आदि कुल 105 नगर निकायों में से 18 नगर निकायों के लगभग 80 वार्डों में निविदा की प्रक्रिया अबतक नहीं की गयी है। निदेश दिया गया कि एक सप्ताह में सभी वार्डों में निविदा प्रकाशित कराने की कार्रवाई की जाय।
- साथ ही 106 नगर निकायों में से निविदित कुल 1667 वार्डों की निविदाएं निकाली गयी है, परन्तु 415 वार्डों में अभी तक कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। इनमे प्रमुख रूप से, ढाका नगर परिषद के 23 वार्ड, शेरघाटी के 20 वार्ड, नरकटियागंज के 19 वार्ड, जोगबनी के 13 वार्ड, विक्रमगंज के 13 वार्ड, पीरो के 12 वार्ड, मनिहारी नगर पंचायत के 11 वार्ड, मीरगंज नगर पंचायत के 11 वार्ड, चनपटिया नगर पंचायत के 11 वार्ड, बीहट नगर परिषद के 10 वार्ड, बखरी नगर पंचायत के 9 वार्ड, तेघड़ा नगर पंचायत के 9 वार्ड, जनकपुर रोड के 9 वार्ड, कोचस नगर पंचायत के 8 वर्ड, कसबा नगर पंचायत के 7 वार्ड, बरबीघा नगर परिषद के 7 वार्ड एवं अमरपुर नगर परिषद के 7 वार्ड हैं। निदेश दिया गया कि जिन वार्डों में निविदा सफल है वहाँ शीघ्र कार्य प्रारम्भ कराया जाय एवं यदि निविदा असफल है तो अल्पकालीन पुनिर्निविदा कराया जाय।
- संवेदक द्वारा कार्य स्वेच्छा से ससमय पूर्ण नहीं किया जा रहा है तो एकरारनामा के शर्त्तों के अनुरूप liquidated damage की राशि विपत्र से कटौती की जाय।

हर घर नल जल निश्चय योजना के अन्तर्गत सभी निकायों को निम्न बिन्दुओं पर जानकारी उपलब्ध कराया गया–

i. शहरी निकायों में जलापूर्ति योजना का कार्यान्वयन 03 कार्यान्वयन एजेन्सी यथा BUDICO, PHED तथा स्थानीय नगर निकायों द्वारा करायी जा रही है।

ii. कार्यान्वयन के तकनीकी बिन्दु के तहत विभागीय वेबसाईट पर अपलोड मानक प्राक्कलन के अनुरूप ही कार्य कराया जाय। छोटे overhead water tank का भी मानक प्राक्कलन तैयार कर विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किया गया है। OHT के माध्यम से जलापूर्ति सुनिश्चित किया जाना है, परन्तु यदि OHT का निर्माण पूर्ण नहीं है तब भी जलापूर्ति नहीं रोका जाय।

iii. बोरिंग के उपरांत पानी की गुणवत्ता की जाँच PHED के स्थानीय प्रयोगशाला से करा लेना अत्यावश्यक है।

iv. कार्य में प्रयुक्त होने वाले HDPE-MDPE तथा CPVC पाईप के गुणवत्ता की जाँच CIPET, हाजीपुर से करवाना अत्यावश्यक है।

v. घरों में जलापूर्ति 1/8" dia Brass ferule के माध्यम से ही किया जाना है तथा गृह जल संयोजन हेतु CPVC 15mm dia के पाईप का ही उपयोग किया जाना है। गृह जल संयोजन हेतु निश्चय योजना में औसत 6 मीटर पाईप तथा AMRUT योजना में औसत 15.0 मीटर का प्रावधान है। साथ ही गृह जल संयोजन में लगाए जा रहे नल पोस्ट को स्थायित्व प्रदान किया जाय। Bibcock में Brass tap का ही उपयोग किया जाय।

vi. पेयजल निश्चय योजना में एक बार 250 मीटर तक ही सड़क की खुदाई कर उक्त लंबाई में पाईप बिछाने के उपरांत सड़क को पुर्नस्थापित (restored) करने के बाद ही आगे पाईप लाईन बिछाने के लिए खुदाई किया जाय।

vii. विभाग द्वारा निर्गत पत्रांक 4372 दिनांक 09.08.2018 के निदेश के आलोक में जलापूर्ति योजना के अन्तर्गत संवेदकों द्वारा जितनी लंबाई में पाईप लाईन बिछायी जाती है, इसमें से कम से कम 70 प्रतिशत लंबाई में उपस्थित घरों में गृह जल संयोजन का कार्य कर देने पर ही संवेदकों को बिछाए गए पाईप लाईन आदि का भुगतान किया जाय।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

6/9/2019

(चैतन्य प्रसाद),
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापांक– 4778 न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक 9/9/19

प्रतिलिपि :– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सभी नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायत/प्रबंध निदेशक, बुडको, पटना/सभी विभागीय पदाधिकारी/अभियंत्रण कोषांग/MIS Cell/SPMG Cell/आई०टी० मैनेजर, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/9/2019

प्रधान सचिव